स्वास्थ्य-साथी स्वास्थ्य बीमा योजना (Swasthya-Sathi Health Insurance Scheme)

sanskritiias.com/hindi/pt-cards/swasthya-sathi-health-insurance-scheme

• **पश्चिम बंगाल ने राज्य की सम्पूर्ण आबादी को कवर करने के लिये** वर्ष 2016 में शुरू की गई 'स्वास्थ्य-साथी स्वास्थ्य बीमा योजना' का विस्तार करते हुए 1 दिसम्बर, 2020 से 7.5 करोड़ स्मार्ट कार्ड जारी करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत परिवार के प्रत्येक आयु वर्ग के नागरिक को द्वितीयक व तृतीयक स्तर की देखभाल के लिये प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपए तक का बुनियादी स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

• यह योजना पूर्णतः राज्य द्वारा वित्तपोषित है। इसके तहत **परिवार की महिला के नाम जारी स्मार्ट कार्ड के माध्यम से कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान** की जाएगी। इसमें पति तथा पत्नी दोनों के माता-पिता शामिल हैं। किसी अन्य स्वास्थ्य योजना के तहत नामांकित व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होंगे। **सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को इस योजना के तहत शामिल** किया जाएगा।

• यद्यपि यह योजना बीमा कवरेज (प्रति परिवार प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपए) के संदर्भ में केंद्र प्रायोजित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के समान है, परंतु आयुष्मान भारत के तहत केंद्र और राज्य लागत का 60:40 वहन करते हैं। विदित है कि **दिल्ली, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया** है।

• मुफ्त और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित मोहल्ला क्लीनिक व पॉलीक्लिनिक एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसी के समान केरल सरकार की 'करुणा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' तथा 'करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति' योजनाएँ हैं जिनका उद्देश्य व्यापक और किफायती स्वास्थ्य बीमा सुविधा के साथ-साथ प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष पाँच लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।